न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 100/2011–12

रविन्द्र प्रसाद सिंह वनाम राज्य

आदेश

16.5.14

प्रस्तुत आपूर्ति अपील अपीलार्थी रविन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर के ज्ञापांक 1830–2 दिनांक– 22.07.2011 द्वारा अपीलार्थी की जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति संख्या– 6/2008 को रद्द किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी कांठो ग्राम पंचायत के निवासी हैं तथा वार्ड नं0– 1, 2, 3, 4 से संबंधित जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति 96/89 (पुराना) नया 6/2008 प्राप्त है तथा उनके द्वारा निर्धारित मात्रा में उचित कीमत पर खाद्यान्न आदि का वितरण उपभोक्ताओं के बीच किया जाता रहा है। 22 वर्ष के कार्यकाल में उनके विरूद्ध समाज में कोई शिकायत नहीं रही है। अग्रतर अपीलार्थी ने कहा है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 24.06.2011 को किये गये जॉच तथा महिलाओं से लिये गये बयान के आधार पर तथाकथित जॉच प्रतिवेदन तैयार कर अपने पत्रांक 1626–2 दिनांक– 25.06.2011 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर को समर्पित किया। उक्त जॉच प्रतिवेदन पर अपीलार्थी से कारण–पृच्छा की मांग की गयी थी। अपीलार्थी ने दिनांक– 04.07.2011 को अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर को कारण–पृच्छा समर्पित किया। पुनः प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा में उल्लिखित तथ्यों पर जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी ने सुनवाई हेतु बिना कोई तिथि निर्धारित किये और बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है। अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने संबंधी पारित आदेश को चुनौती देते हुए इसे निरस्त करने की याचना की है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर द्वारा अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने का निम्नांकित आधार बतलाया गया है:–

01. निरीक्षण में दूकान बन्द पाया गया। विक्रेता बिना किसी पूर्व सूचना के दूकान से अनुपस्थित पाये गये।
02. सूचनापट्ट संधारित नहीं था।
03. कमजोर वर्ग एवं महादलित उपभोक्ताओं को अन्त्योदय एवं बी०पी०एल० सयोजना का खाद्यान्न की आपूर्ति प्रत्येक माह नहीं करने के साथ–साथ अधिक माह का खाद्यान्न अंकित कर देना।
04. विक्रेता का उपभोक्ताओं के साथ ठीक व्यवहार नहीं करना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर के द्वारा श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, अनुज्ञप्ति संख्या– 06/08 के दूकान के उपभोक्ता का बयान दर्ज किया है (1) श्री घूरन केवट, पिता– कुंजी केवट, ग्राम– सिसौनी, वार्ड सं0–4, बी0पी0एल0 कार्ड संख्या– 7351271 की पत्नी नीलम देवी ने बताई कि मुझे अभी तक दो माह का हीं खाद्यान्न मिला है। उन्होंने कहा कि किरासन तेल प्रत्येक माह कूपन के आधार पर मिलता है। (2) श्री सुरेश केवट, पिता– श्री सीताराम केवट ग्राम– सिसौनी, वार्ड सं0–4, बी0पी0एल0 संख्या– 7351286 की पत्नी टुनटुन देवी ने भी बताई कि मुझे इस वर्ष दो माह का हीं खाद्यान्न मिला है। किरासन तेल कूपन के आधार पर निर्धारित रूप से सही मात्रा और उचित कीमत पर मिलता है। (3) रामबहादुर राय, पिता– स्व0 मुसहरू राय, ग्राम– सिसौनी, वार्ड नं.–4, अन्त्योदय कार्ड संख्या– 0209805 ने बताया कि मुझे तीन माह का खाद्यान्न कूपन के आधार पर दो रूपया गेहूँ और तीन रूपया चावल तथा पौने तीन लीटर किरासन तेल कूपन के आधार पर मिलता है। (4) श्रवण महतो, पिता– रामबहादुर महतो, वार्ड सं0–4, अन्त्योदय कार्ड संख्या– 0209804 ने बताया कि मुझे तीन माह का खाद्यान्न कूपन के आधार पर दो रूपया गेहूँ और तीन रूपया चावल तथा पौने तीन लीटर किरासन तेल कूपन के आधार पर मिलता है। (5) दीपू मल्लिक, पिता– भोला मल्लिक, ग्राम– सिसौनी, वार्ड नं0–4, अन्त्योदय कार्ड संख्या– 0209794 की पत्नी मीरा देवी ने बताई कि मुझे मात्र दो माह का खाद्यान्न मिला है, लेकिन इनके कार्ड पर पाँच महिना का अंकित है। किरासन तेल प्रत्येक माह कूपन के आधार पर मिलता है। (6) श्री अनिल मल्लिक, पिता– जगदीश मल्लिक, ग्राम– सिसौनी, वार्ड नं0–4, अन्त्योदय कार्ड संख्या– 0209795 ने बताया कि मुझे मात्र दो माह का खाद्यान्न मिला है, लेकिन इनके कार्ड पर पाँच महिना का अंकित है। किरासन तेल प्रत्येक माह कूपन के आधार पर मिलता है। (7) सुधीर मल्लिक, पिता– स्वरूप मल्लिक, वार्ड सं0–4, बी0पी0एल0 कार्ड संख्या– 7351273 की पत्नी गीता ने बताया कि मुझे तीन माह का खाद्यान्न मिला है। किरासन तेल प्रतिमाह कूपन के आधार पर मिलता है। (8) संजय मल्लिक, पिता– भोला मल्लिक, अन्त्योदय कार्ड संख्या– 0209792 वार्ड नं0–4 की पत्नी रूब्बी देवी ने बताई कि मुझे मात्र दो बार ही खाद्यान्न मिला है। किरासन तेल प्रत्येक माह विक्रेता रविन्द्र सिंह मुझे कूपन के आधार पर देते हैं। (9) पृथ्वी मल्लिक, पिता– योगेन्द्र मल्लिक, ग्राम– सिसौनी, वार्ड नं0–4, अन्त्योदय कार्ड संख्या– 0209793 की पत्नी चण्डिका देवी ने बताई कि मुझे मात्र दो बार ही खाद्यान्न मिला है। किरासन तेल प्रत्येक माह विक्रेता रविन्द्र सिंह मुझे कूपन के आधार पर देते हैं। (10) राजकिशोर मल्लिक, पिता– स्वरूप मल्लिक, ग्राम– सिसौनी, वार्ड सं0–4, बी0पी0एल0 कार्ड संख्या– 6330843 की भाभो संगीता देवी ने बताया कि मुझे मात्र दो बार ही खाद्यान्न मिला है। किरासन तेल प्रत्येक माह विक्रेता रविन्द्र सिंह मुझे

कूपन के आधार पर देते हैं। (11) श्री जगदीश मल्लिक, पिता– जागेश्वर मल्लिक, वार्ड सं0–4, ग्राम– सिसौनी, बी0पी0एल0 कार्ड संख्या– 6330850 की पत्नी गंगिया देवी ने बताया कि मुझे दो बार ही खाद्यान्न मिला है और किरासन तेल प्रत्येक माह डीलर रविन्द्र सिंह देते हैं।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर द्वारा इस बिन्दू पर जॉच नहीं की गई कि वास्तव में कितने माह के खाद्यान्न का उठाव डीलर द्वारा किया गया एवं कितने माह का वितरण लाभुकों के बीच किया गया। जॉच प्रतिवेदन अपूर्ण है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्ध करने के पूर्व इस बिन्दू की विवेचना नहीं की गयी। अधूरे जॉच प्रतिवेदन पर अनुज्ञप्ति रद्ध करना न्यायोचित नहीं है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक– 22.07.2011 को निरस्त किया जाता है एवं अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

10.5.14

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1098-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 20 वीं मई, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

९

२०/8/14